

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा, जिला-चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण प्रार्थना पत्र- 49/2023

उनवान

शुभम धाकड़ पुत्र नेमीचन्द धाकड़ उर्फ निमकचन्द धाकड़ उम्र बालिग ग्राम लाडपुरा ग्राम पंचायत जालखेडा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।

..... प्रार्थी

बनाम

1. श्री उंकार पुत्र हीरा धाकड़ जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी ग्राम लाडपुरा ग्राम पंचायत जालखेडा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री मथुरालाल पुत्र नाराण जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी ग्राम लाडपुरा ग्राम पंचायत जालखेडा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।
3. भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा जिला-चित्तौड़गढ़।

.....विपक्षीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित – जितेन्द्र राठौर अभिभाषक प्रार्थी।

1,2 अर्जुन सिंह चुण्डावत अप्रार्थी।

03 परोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक 30.07.2024

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के सायुंक्त खातेकाशत की कृषि आराजीयात ग्राम लाडपुर ५०ह० जालखेडा तहसील रावतभाटा में संवत 2076-79 के अनुसार खाता संख्या 180 खसरा संख्य 765 रकबा 0.91है० है। जो खाते मे मुझ प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 उंकार व मथुरालाल के खाते नाम दर्ज रिकार्ड है, उक्त आराजीयात के जमाबंदी रिकार्ड में प्रार्थी शुभम धाकड़ के पिता का नाम नेमीचन्द धाकड़ लिखा हुआ है, जबकि प्रार्थी शुभम धाकड़ के आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व प्रार्थी शुभम धाकड़ के पिता के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजात में प्रार्थी के पिता का नाम निमक चन्द धाकड़ लिखा हुआ है जो कि सही एवं सत्य है। जिसके कारण उक्त राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी शुभम धाकड़ अपने पिता का नाम निमक चन्द धाकड़ दर्ज करवाना चाहता है, क्योंकि नेमीचन्द व निमक चंद धाकड़ दोनो नाम के व्यक्ति प्रार्थी शुभम धाकड़ के पिता ही है, अन्य कोई व्यक्ति नहीं है क्योंकि प्रार्थी के पिता के दो नाम के अलग अलग दस्तावेज होने के कारण उक्त जमीन आराजीयात पर बैंक से ऋण लेने में परेशानियों का सामना करना पड रहा है तथा अन्य कठिनाईयां उत्पन्न हो रही है, जमाबंदी रिकार्ड में प्रार्थी शुभमधाकड़ के पिता के गलत नाम कि त्रुटि राजस्व कर्मचारी भूल व त्रुटिवश हुई है, इसलिए उपरोक्त वर्णित प्रार्थी के खाते में प्रार्थी शुभम धाकड़ के पिता का नाम निमक चन्द धाकड़ उर्फ नेमीचंद धाकड़ किये जाने हेतु इन्द्राज दुरुस्ती का यह प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। अन्त में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम लाडपुर ५०ह० जालखेडा तहसील रावतभाटा में संवत 2076-79 के अनुसार खाता संख्या 180 खसरा संख्य 765 रकबा 0.91है० में प्रार्थी शुभम धाकड़ के पिता का नाम निमक चंद धाकड़ उर्फ नेमीचंद धाकड़ किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 2 की ओर से अधिकवक्ता ने जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 17.10.2023 को जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 03 तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जांच कराई गई। तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी शुभम धाकड़ पुत्र ५०ह० जालखेडा तहसील रावतभाटा में संवत 2076-79 के अनुसार खाता संख्या 180 खसरा संख्य 765 रकबा 0.91है० भूमि प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 01, 02 उंकार पुत्र हीरा धाकड़ तथा



उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

मथुरालाल पुत्र नाराण घाकड के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में नेमीचन्द दर्ज है जबकि प्रार्थी के दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र आदि में प्रार्थी के पिता का नाम नेमीचन्द नहीं होकर निमकचन्द अंकित है। भूमि के सहखातेदारों को पक्षकार बनाया जाकर उनकी सहमति तथा प्रार्थी द्वारा साक्ष्य पेश कर दिये जाने के उपरान्त उक्त भूमि के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम नेमीचन्द के स्थान पर निमकचन्द उर्फ नेमीचन्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

हमने प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस सुनी। बहस पर मनन किया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के पिता का नाम निमकचन्द उर्फ नेमीचन्द राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। जिस पर वकील अप्रार्थी द्वारा खण्डन किया गया। तहसीलदार रावतभाटा मय प0ह0 जालखेडा रिपोर्ट तथा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों से प्रार्थी के कथनों की पुष्टि होती है। जिससे राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रार्थी के पिता नाम नेमीचन्द के स्थान पर नेमीचन्द उर्फ निमकचन्द किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया ग्राम लाडपुर प0ह0 जालखेडा तहसील रावतभाटा में संवत् 2076-79 के अनुसार खाता संख्या 180 खसरा संख्या 765 रकबा 0.91है0 प्रार्थी के पिता का नाम नेमीचन्द के स्थान पर नेमीचन्द उर्फ निमकचन्द किये जाने की इन्द्राज दुरुरती किये जाने का आदेश दिया जाता है, तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.7.2024 को सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार रावतभाटा को भेजी जावे।



(महेश गंगारिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़